न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद पत्र संख्या : 386/2015

GCMS No. : 2015/00266

-:: वादी ::-	बनाम	-:: प्रतिवादीगण ::-
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. सिद्धि विनायक सीमेन्ट प्रा० लि० कार्यालय नई दिल्ली रोड नजदीक गोटा रेल्वे ओवरब्रिज गोटा 2. प्रितमसिंह दुआ पुत्र बुधराज सरदार सा-18 चांग चिताड़ रोड़ ब्यावर 3. प्रदीप गुलिया पुत्र जगदीशचन्द्र जाट सा. बादली तहसील- बहादुर गढ़ झज्जर 4. कन्हैयालाल, जीवराज पुत्रगण रूघनाथ जाति- कलाल, निवासी- निम्बोल तहसील- जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् **बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख रजू -: 22.07.2015

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।

2. श्री सुरेश चौधरी, श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉक :- 12/05/2022**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा- निम्बोल में आयी हुई है। जिसका खसरा नम्बर 437, रकबा 16-13 बीघा, किस्म- बारानी दोयम, लगान 5.19 प्रतिवर्ष के हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतू विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि योग्य है इसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 11-18 बीघा किस्म बारानी दोयम पर कृषि से अकृषि कार्य मौके औधोगिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा- निम्बोल तहसील- जैतारण, जिसका खसरा नम्बर 437, रकबा 16-13 बीघा मे से 11-18 बीघा, किस्म- बारानी दोयम, लगान 5.19 प्रतिवर्ष आई हुई है। जो अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 15.06.2015 प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि समावधि [illegible]

इस पर प्रार्थना-पत्र द[illegible] अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 [illegible] सूचना/तामिल के [illegible]स्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रा[illegible]ण संख्या 01, [illegible] 04 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ोर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जो कि शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 02 व 04 जवाब दावा पेश नहीं करना चाहते, अतः जवाब दावा बन्द किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाबदावा पेश कर निवेदन किया है कि नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) जिसमें मैसर्स सिद्धि विनायक सिमेन्ट प्रा. लि. का समागम मैसर्स निरमा लिमिटेड में हो जाने से एवं तत्पश्चात मैसर्स निरमा लिमिटेड निम्बोल सिमेन्ट प्लांट का डीमर्जर निरमा लिमिटेड से मर्जर नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड में हो जाने से उनकी और से जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री परिक्षित खिड़ीया की और से कि प्रार्थी मैसर्स सिध्दि विनायक कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीबद्ध लिमिटेड कम्पनी थी। तत्पश्चात इस कम्पनी के बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स के निवेदन पर माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय दिनाक 20.04.2015 के तहत इस कम्पनी का समागन में मैसर्स निरमा लिमिटेड में हो गया है। इस प्रकार से मैसर्स निरमा लिमिटेड कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1956के तहत एक पंजीबद्ध लिमिटेड कम्पनी है। जिसका मुख्यालय निरमा हाउस आश्रम रोड अहमदाबाद 380009 गुजरात है मैसर्स निरमा लिमिटेड का एक सीमेन्ट प्लांट ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली में संचालित व उत्पादनरत रहा था। तत्पश्चात माननीय नेशनल कम्पनी ल० ट्रिब्युनल अहमदाबाद ब्रांच अहमदाबाद से पारित आदेश दिनांक 25.11.2019 प्रकरण संख्या 113/2019 के जरिये व माननीय नेशनल कम्पनी ट्रिब्युनल मुम्बई ब्रांच मुम्बई से पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 प्रकरण संख्या 3652/2019 के अनुसार उक्त निम्बोल सीमेन्ट प्लांट का डीमर्जर मैसर्स निरमा लिमिटेड से होकर उसका मर्जर नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड में कर दिया गया है। उपरोक्त मर्जर आदेश दिनांक 01.02.2020 से प्रभावी है। इस प्रकार से उक्त सीमेन्ट प्लांट ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली में संचालित व उत्पादनरत है, तथा इस सीमेन्ट प्लांट से सम्बन्धित विधिक कार्यवाहीया करने हेतु नियमानुसार बोर्ड अoफ डारेक्टर्स की मिटिंग में प्रस्ताव लेकर इस कम्पनी की ओर से अधिकृत मेनेजिंग डारेक्टर ने इस सीमेन्ट प्लांट के विधिक कार्यवाहीया करने के लिये श्री परिक्षित खिड़ीया को अधिकृत करते हुये उन्हें अपना आ मुख्त्यारनामा धारक नियुक्त कर दिया है एवं उक्त व्यक्ति इस कम्पनी की विधिक कार्यवाहीयो के बाबत जानकारी रखते है एवं भारतीय नागरिक है। उक्त आम मुख्त्यारनामा की प्रति इस जवाब के साथ पेश है। इस प्रकार से अदालत श्रीमान के समक्ष विचाराधीन इस प्रार्थना पत्र का पदवार जवाब निम्नानुसार है प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्यों को प्रार्थी स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित अनुसार खसरा नम्बर 437 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि मे से 1/2 वे हिस्से की भूमि जवाब देहन्दा कम्पनी की है। जिसके बाबत जवाब देहन्दा कम्पनी ने अदालत श्रीमान समक्ष एक राजस्व वादपत्र बाबत बंटवाड़ाय स्थाई निषेधाज्ञा का बअनवान मेसर्स सिद्धिविनायक बनाम कन्हैयालाल का पेश किया था। जिसमें बंटवाडा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी होकर उसकी पालना उपरान्त [illegible] डिक्री भी पारित हो गई थी। माफिक अन्तिम डिक्री के राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा व अंकन भी हो गया था। कि तत्पश्चात कन्हैयालाल व अन्य ने बंटवाडा डिक्री [illegible] माननीय आर.ए.ए पाली के समक्ष करने पर बंटवाडा डिक्री को अपास्त करते हुये प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया। इसी दौरान इस खसरा नम्बर 437 के 1/9 हिस्से के खातेदार प्रदीप गुलिया की ओर से पृथक.. से स्थगन बाबत वादपत्र पेश कर दिया गया था। कि इसी दौरान भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

...वर्ती सहहिस्सेदार कन्हैयालाल व अन्य ने अदालत श्रीमान के समक्ष ही एक वादपत्र
...बत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का भी पेश किया हुआ है जो वर्तमान में और विचारण
... है। इसी दौरान माननीय अदालत श्रीमान द्वारा उक्त खसरा नम्बर 437 से सम्बन्धित
...भी वादपत्रो को कन्हैयालाल व अन्य बनाम जोधसिंह व अन्य के साथ सम्मिलित करते
...से विचारण किया जा रहा है। इस प्रकार से इस खसरा नम्बर 437 मे से 1/2 के
...इसे की भूमि का पूर्व में बंटवाड़े का अन्तिम रूप से राजस्व रेकर्ड में अंकन हुआ था।
...सके माफिक इस कार्यवाही में वर्णित भूमि का रूपान्तरण वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ
...सेमेन्ट उद्योग हेतु करवाने बाबत अन्दर अवधि जवाब देहन्दा कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र
...पेश किया जाकर आवश्यक भू-रूपान्तरण शुल्क एवं तत्पश्चात तहसीलदार जी जैतारण
...द्वारा चाहा गया अन्य आवश्यक रूपान्तरण शुल्क जिसमें शास्ति राशि भी जमा करवायी
...जा चुकी है। जिससे सम्बन्ध दस्तावेज की प्रतिया इस जवाब के साथ पेश है। इस प्रकार
...है राज्य सरकार के निर्देशानुसार सक्षम अधिकारीगण के समक्ष नियमानुसार व विधिक
प्रावधानो अनुसार कृषि भूमियो को अकृषि प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण अधिनियम 2007 के
प्रावधानो अनुसार भूमिया वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण की कार्यवाही की हुई
है। उक्त भू-रूपानतरण नहीं हो जाता तब तक भूमि मौके पर खाली पड़ी है एवं उसको
अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नहीं लिया जा रहा है। भू-रूपान्तरण की कार्यवाही जवाब
देहन्दा कम्पनी द्वारा की गई इस बाबत नियमानुसार भू-रूपान्तरण शुल्क भी जमा
करवाया जा चुका है तथा इन समस्त तथ्यों की तहसीलदार जैतारण को भलिभांति
जानकारी है। उसके बावजूद भी जवाब देहन्दा कम्पनी के विरूद्ध यह निराधार कार्यवाही
पेश की गई है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद
असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित तथ्यों का जवाब
है कि उक्त भूमि खरीद करने के बाद से ही मौके पर अभी तक अकृषि प्रयोजनार्थ काम
में नहीं ली गई है तथा मौके पर खाली पड़ी है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद
असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित तथ्यों का जवाब
है कि उक्त भूमि खरीद करने के बाद से ही मौके पर अभी तक अकृषि प्रयोजनार्थ काम
में नहीं ली गई है तथा मौके पर खाली पड़ी है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद
असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन असत्य होने
से अस्वीकार है। वास्तविकता में उक्त भूमि खरीद करने के बाद से ही मौके पर अभी
तक अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नहीं ली गई है तथा मौके पर खाली पड़ी है। जिसके
बाबत भू-रूपान्तरण की कार्यवाही भी विचाराधीन है। इस प्रकार से राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम की धारा 207 के तहत राजस्व न्यायालय द्वारा जो प्रकरण सुने व विचारण
किये जाने योग्य है उसमें यह मामला नहीं आता है तथा भूमि का भू-रूपान्तरण की
कार्यवाही विचाराधीन होने से राजस्व न्यायालय को इस प्रकरण में कोई सुनवाई का
क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने
से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद [illegible] में वर्णित कथन एवं इस पद में लिखे
गये खसरा नम्बर एवं बताये गया रकबा से स[illegible]यत [illegible]थ्य भी कतई गलत होने से
अस्वीकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] (24) के तहत भूमि से
अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि कार्य, उपवन, चारागाह व उन पर निर्मित मकान,
बाड़े, सिंचाई के प्रयोजनार्थ भूमियो से होगा। जबकि इस प्रकरण में वर्णित भूमि
औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण की राशिया जमा हो जाने से इस पर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कारी अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिये अदालत श्रीमान के इस प्रकरण में क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। कि विबद्धके सिद्धान्तानुसार इस प्रकरण में त भूमियो के बैधान उपरान्त नामान्तरणकरण की कार्यवाही भू-रूपान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार एवं उनके प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण द्वारा ही की गई है एवं अपने की गई कार्यवाहीयो से भी सायल स्वयं पाबन्द है उसके विपरित किसी भी प्रकार कोई उज्जर नहीं लेने हेतु भी तहसीलदार स्वयं पाबन्द है इसलिये तहसीलदार जैतारण इस प्रकरण में कोई बिनाय बाद जवाब देहन्दा कम्पनी के विरुद्ध प्राप्त नहीं होता है सलिये भी यह कार्यवाही काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। कि सीपीसी के वधानों के अनुसार किसी भी प्रकरण में पक्षकारान द्वारा पेश की गई कार्यवाही के समर्थन में पक्षकार का शपथ पत्र एवं उस शपथ पत्र का सत्यापन भी किया जाना आवश्यक है इस प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से न तो शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है एवं न ही उसका सत्यापन ही किया गया इसलिये भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे कि इस प्रकरण में प्रार्थी ने दिनांक 15.06.2015 को बिनाय वाद प्राप्त होने का उल्लेख किया है। जबकि बैचान विलेख व रूपान्तरण बाबत कार्यवाहीया पूर्व ही हो चुकी है। इसलिये भी प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई बिनाय वाद प्राप्त नहीं होता है एवं यह कार्यवाही बार्ड बाई लॉ है। कि उपखण्ड जैतारण में उप पंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार के पद पर एक ही व्यक्ति के पदस्थापित रहने से एवं पश्चातवर्ती प्रक्रम में नामान्तरकरण की कार्यवाही करने से एवं भू-रूपान्तरण बाबत आवश्यक जांच व शुल्क भी तहसीलदार जी जैतारण द्वारा ही जमा किया गया होने से प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.06.2015 का उल्लेख कर देने से ही समय की छुट पाने का अधिकारी नही है। इस बाबत डिले कण्डोन बाबत कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नही हुआ है इसलिये भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार एवं अधिवक्ता की सुनी गई।

तहसीलदार जैतारण, भू. अ. निरीक्षक वृत. निम्बोल एवं हल्का पटवारी निम्बोल द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफस् दिनांक 06.02.2020 व 04.09.2020 पेश की गई, जो शामिल मिसल की गई। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनते हुये, उस पर मनन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 4[illegible] रकबा 16.13 बीघा जिसकी किस्म बारानी दोयम है, अर्थात् कृषि भूमि है। जिसका उपयोग केवल [illegible] कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी [illegible] कृषि भूमि पर अकृषि औधोगिक प्रयोजनार्थ उपयोग कर रहे है। जिससे [illegible] भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई है। उक्त कृत्य की जानकारी दिनांक 1[illegible]6.2015 को प्राप्त हुई, अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) जिसमें मैसर्स सिद्धि विनायक सिमेन्ट प्रा. लि. का समागम मैसर्स निरमा लिमिटेड में हो जाने से एवं तत्पश्चात मैसर्स निरमा लिमिटेड निम्बोल सिमेन्ट प्लांट का डीमर्जर निरमा लिमिटेड से मर्जर नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड में हो गया, जो वर्तमान में कार्यरत है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 437 का कुल रकबा 16-13 में से 1/2 हिस्सा जवाबदेहन्दा कम्पनी का है। जिसका सक्षम न्यायालय से पूर्व में बन्टवाड़ा अर्थात खाता विभाजन हो चुका था। जिसके औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण हेतु कम्पनी द्वारा कार्यवाही शुरू कि गई थी तथा शुल्क व शास्ती जमा करवा दिया गया था, लेकिन पक्षकारान द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील कर देने तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः रिमांड कर दिये जाने से, भू रूपान्तरण करनें कार्यवाही नहीं हो सकी। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में घोषणा, बन्टवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् विभिन्न वादपत्र समेकित हो कर न्यायालय हाजा में जेरकार है। वादग्रस्त आराजी मौके पर खाली पड़ी है तथा उसको अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नहीं लिया जा रहा है। भू रूपान्तरण कार्यवाही विचाराधीन होने से राजस्व न्यायालय को इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24) के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि नहीं आती है। उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है।

3. प्रकरण में न्यायालय के आदेश से वादग्रस्त आराजी की अद्यतन मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफस तहसीलदार जैतारण से प्राप्त किया गया। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 24.02.2020 के साथ संलग्न पटवारी निम्बोल की मौका रिपोर्ट एवं फोटोग्राफस, दिनांक 06.02.2020 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 437 रकबा 16-13 बीघा किस्म बारानी दोयम में से 1/2 हिस्से की भूमि पर मौके पर सीमेन्ट उद्योग स्थापित कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा हैं, शेष 1/2 भाग भूमि खाली पड़ी है जिसमें अंग्रेजी बबूल की झाड़ी खड़ी है। मौका रिपोर्ट के साथ दिनांक 06.02.2020 को पटवारी निम्बोल द्वारा लिया गया मौके फोटोग्राफस जो पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित है, से स्पष्ट है कि मौके पर सी.सी. रोड़ एवं सीमेन्ट प्लांट खड़ा है।

4. प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार जैतारण की स्वयं की उपस्थिति में नवीनतम मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफस् प्राप्त किया गया। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14.09.2020 के साथ संलग्न तहसीलदार जैतारण , भू अ. निरीक्षक एवं पटवारी निम्बोल की संयुक्त मौका रिपोर्ट मय मौके के फोटोग्राफस दिनांक 04.09.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 437 रकबा 16-13 बीघा किस्म बारानी दोयम में से 1/2 हिस्से की भूमि पर मौके पर सीमेन्ट उद्योग स्थापित कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा हैं, शेष 1/2 भाग भूमि खाली पड़ी है जिसमें अंग्रेजी [illegible] खड़ी है।

5. अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित [illegible] न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं फोटोग्राफस दिनांक 06.02.2020 [illegible] का न तो खण्डन किया गया तथा न ही इसके विरोध में कोई कथन किया गया।

6. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अनुसार आराजी की किस्म बारानी दोयम है जो कि काबिल काश्त कृषि भूमि की श्रेणी में आती है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

55 की धारा 05(24) में विहित भूमि की श्रेणी में आती है। जिसके सम्बन्ध में /प्रार्थनापत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार उक्त अधिनियम की धारा 207 एवं तृतीय नुसूची के अन्तर्गत केवल न्यायालय हाजा को ही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 की धारा 207 एवं अनुसूची तृतीय की प्रविष्टि संख्या 67 के अनुसार हानिकारक र्य या शर्त भंग के लिये धारा 177 के अन्तर्गत विचारण करने के लिये केवल यायालय सहायक कलक्टर ही सक्षम है। अतः अप्रार्थी का यह कथन की वादग्रस्त राजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24) के अन्तर्गत भूमि की णी में नहीं आती है क्योंकि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन तु आवेदन कर शुल्क व शास्ति जमा करवाई थी। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादग्रस्त आराजी पर लागू नहीं होता तथा न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है। अप्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी को अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश से सम्बन्धित कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह विश्वास किया जाये कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में कृषि भूमि नहीं है। केवल संपरिवर्तन प्रयोजनार्थ आवेदन कर देने तथा शुल्क व शास्ति आदि जमा करवा देने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि ऐसी भूमि कृषि भूमि न होकर अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख से भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान में भी कृषि भूमि है। अतः अप्रार्थीगण के आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं है।

7. अप्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण समय सीमा से बाधित होना अंकित किया है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस प्रकार से एवं किस समय सीमा तक प्रकरण समय सीमा से बाधित है। प्रार्थी वादी तहसीलदार जैतारण द्वारा पैरा संख्या 06 में मुतनाजा आराजी पर दिनांक 15.06.2015 कृषि भिन्न कार्य किये जाने की सूचना प्राप्त होने का कथन किया हैं तथा प्रकरण न्यायालय हाजा में दिनांक 22.07.2015 को दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये अधिनियम की अनुसूची तृतीय की प्रविष्टि संख्या 67 में समय सीमा तीन वर्ष निर्धारित है। अतः हस्तगत प्रकरण समय सीमा से बाधित नहीं होकर परिसीमा के भीतर है।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है :-

177. **अहितकर कार्य या शर्त भंग के लिए बेदखली** – (1) भू-धारक के आवेदन पर अभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :-

(क) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो उस जोत में की भूमि के लिए अहितकर हो या जिस प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे के पर दी गई हो, उससे असंगत हो, या

(ख) इस आधार पर कि उसने या उससे व्युत्पन्न अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है जिसके भंग करने पर [illegible] इस अधिनियम के उपबंधो के प्रतिकूल नहीं है, के अनुसार बेदखली का दायी हो;

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 437 कुल रकबा –13 बीघा, किस्म– बारानी दोयम, जो कि कृषि भूमि है तथा खातेदार द्वारा उक्त भू पर केवल कृषि कार्य ही किया जा सकता है या ऐसे कार्य जो कृषि से संबंधित हो ा जिससे मृदा की उत्पादकता में वृद्धि हो परन्तु किसी भी दशा में किसी भिन्न कार्य ा कोई ऐसा कार्य जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, नही या जा सकता। कृषि कार्य से अकृषि प्रयोजन भूमि प्रयोग से पूर्व राजस्थान ग्रामीण त्रो में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 में विहित प्रक्रिया का नुपालन करते हुए संबंधित सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन अनुज्ञा प्राप्त करने के परान्त ही अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वादग्रस्त आराजी खातेदार मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) है, द्वारा अपने 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर सीमेंट लांट स्थापित कर उक्त भूमि को औद्योगिक एवं उससे संबंधित क्रियाकलापो में प्रयुक्त की जा रही है। जिसके लिए उक्त खातेदार द्वारा सक्षम स्तर से किसी प्रकार की कोई अनुज्ञा प्राप्त नही की है तथा न ही संबंधित पक्षकार/खातेदार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। अतः उक्त खातेदार का यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत कृषि भूमि के लिए अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है तथा जिसके लिए उक्त खातेदार की अपने 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करते हुए मौके से बेदखल किया जाना तथा राज हक में कब्जा प्राप्त करना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा। उक्त खसरा संख्या 437 के अन्य सहखातेदारान् द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर अकृषि कार्य नही किया गया है अतः शेष 1/2 भूमि अन्य सहखातेदारान् के हिस्सानुसार यथावत् रहेगी।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम निम्बोल के खसरा संख्या 437 रकबा 16–13 बीघा किस्म बारानी दोयम के संबंध में तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत दावा प्रतिवादी संख्या 1 मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) है, के 1/2 हिस्से के संबंध में भलीभांति साबित होता है, खातेदार मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) द्वारा वादग्रस्त आराजी के अपने 1/2 हक हिस्से में बिना सक्षम अनुमति के सीमेंट प्लांट स्थापित एवं संचालित कर कृषि भिन्न औद्योगिक गतिविधियां कारित कर कृषि भूमि के अहितकर कार्य किया जाना साबित है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर खातेदार मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) के 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि की अभिधृतियां निर्वापित करते हुए सिवाय चक खाता सरकार दर्ज कर मौके से भौतिक रूप से बेदखली करते हुए कब्जा राज प्राप्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:56 IST
Reason: SelfAttested

आदेश :

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा– निम्बोल, तहसील– जैतारण, खसरा नम्बर 437, रकबा 16–13 बीघा,

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

रुम- बारानी दोयम में से खातेदार मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो मान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से जो द-पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 में अंकित है, से तेवादी मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो वर्तमान में नुवोको विस्टास ॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक ाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को भौतिक रूप से बेदखल किया ाकर कब्जा राज प्राप्त किया जावे। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस ादेश के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 06. 02.2020 तथा 04.09.2020 इस निर्णय का भाग होगी। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 12/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:56 IST
Reason: SelfAttested

डिग्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

राज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– जैतारण
ईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. सिद्धि विनायक सीमेन्ट प्रा0 लि0 कार्यालय नई दिल्ली रोड नजदीक गोटा रेल्वे ओवरब्रिज गोटा
2. प्रितमसिंह दुआ पुत्र बुधराज सरदार सा–18 चांग चिताड़ रोड ब्यावर
3. प्रदीप गुलिया पुत्र जगदीशचन्द्र जाट सा. बादली तहसील– बहादुर गढ़ झज्जर
4. कन्हैयालाल, जीवराज पुत्रगण रुघनाथ जाति– कलाल, निवासी– निम्बोल तहसील– जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0स0: 386/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–....... व हाजरी
श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी, शाकिर हुसैन
अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी
अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से
स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा– निम्बोल, तहसील– जैतारण,
खसरा नम्बर 437, रकबा 16–13 बीघा, किस्म– बारानी दोयम में से खातेदार मैसर्स
सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन
लिमिटेड (एन.सी.पी.) के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से जो वाद–पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 06.
02.2020 तथा 04.09.2020 में अंकित है, से प्रतिवादी मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट
प्राइवेट लिमिटेड जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) के
खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस
पर से प्रतिवादी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज प्राप्त किया जावे।
तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका रिपार्ट
दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते
हुए भू नक्शे में तरमीम करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 जो कि इस निर्णय का
इस निर्णय का भाग होगी। इसी मुताबिक पर्चा हि... ...प्रमाणली इसी कदर निर्णित
भाग होगा। तहसीलदार जैतारण को पालना... ...
होकर संख्या से एक कम होते हुए दा... ...
बीज ......मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मु... में मय सूद व शहर ....–......
फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/05/2022 को जारी
...या गया ।

...मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड मजिस्ट्रेट जैतारण
जैतारण, जिला पाली

...द्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
...टाम्प अर्जी दावा	/		स्टाम्प वकालतनामा	03-00	
...टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	01-00	
...टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील	/	
...हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
...र्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
...ीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
...ावत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
...मिजानः-	— Nil —		मिजानः-	04-00	

...ोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया
...गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:56 IST
Reason: SelfAttested